कार्यालय अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

क्रमांक / स्था. अराज / जी.एम.सी. / 2025–26 / 11209 शहडोल, दिनांक 23 / 09 / 2025

/ / नियुक्ति आदेश / /

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित समूह–05 के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा–2024 के द्वारा दिनांक 29.04.2025 को जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची में रहे अभ्यार्थियों के मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित अभ्यार्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदनाम, चयनित श्रेणी, वेतनमान एवं समय–समय पर शासन द्वारा देय महंगाई तथा अन्य भत्तों के साथ अस्थायी रुप से नियुक्ति प्रदान करते हुये स्वशासी बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल में पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	अभ्यार्थियों का नाम	पदनाम	वेतनमान	चयनित श्रेणी	पत्र व्यवहार का पता
1	कृष्ण कुमार साहू पिता – श्री विजय प्रकाश साहू	रेडियोग्राफर	28700–91300 (लेवल–7) में न्यूनतम वेतन रुपये 28700 / –	UR/NIL/ OPEN	निवासी – ग्राम बरगवां, पोस्ट, करोंदी, तहसील, शहपुरा जिला –डिंडोरी
2	दीपक ओझा पिता – श्री सुरेन्द्र सिंह ओझा	टेक्नीशियन असिस्टेंट	19500–62000 (लेवल–4) में न्यूनतम वेतन 19500 / –	UR/NIL/ OPEN	निवासी – ग्राम भैंसा, पो0 डुंगासरा, जिला अशोकनगर
3	कुशाल सिंह राठौर पिता – नरेन्द्र सिंह	टेक्नीशियन असिस्टेंट	19500–62000 (लेवल–4) में न्यूनतम वेतन 19500 / –	EWS/NIL/OPEN	निवासी – ग्राम पिपलोन खुर्द, पोस्ट आफिस पिपलोनकलां, थाना एवं जिला– आगर मालवा (म.प्र.)
4	दिलीप बिसारिया पिता– श्री बीरमदेव	लैब अटेंडेंट	15500–49000 (लेवल–1) में न्यूनतम वेतन 15500 / –	SC/NIL/OPEN	निवासी अम्बेडकर नगर,श्योपुर लोकमान्य तिलक वार्ड नं. 10 तह. एंव जिला श्योपुर (म.प्र.)
5	प्रणव बनोठे पिता– श्री केदारनाथ बनोठे	लैब अटेंडेंट	15500–49000 (लेवल–1) में न्यूनतम वेतन 15500 / –	UR/NIL/OPEN	निवासी– बालाघाट वार्ड नं. 13 महाराजा प्रताप वार्ड तह. एवं जिला बालाघाट (म.प्र.)
6	अजय कुमार वर्मा पिता– श्री जंगीलाल	लैब अटेंडेंट	15500–49000 (लेवल–1) में न्यूनतम वेतन 15500 / –	SC/ SAMVIDA	निवासी – रेरुआ, त्योंथर रीवा जिला रीवा (म.प्र.)
7	अभिषेक शुक्ला पिता–श्री चन्द्रशेखर शुक्ला	लैब अटेंडेंट	15500–49000 (लेवल–1) में न्यूनतम वेतन 15500 / –	EWS/NIL/OPEN	निवासी– ग्राम पो0 रौरा रायपुर कर्चुलियान रीवा (म.प्र.)
8	सपना कोल पिता – शिवकुमार कोल	लैब अटेंडेंट	15500–49000 (लेवल–1) में न्यूनतम वेतन 15500 / –	ST/NIL/OPEN	निवासी – ग्राम बहोरीबंद, कटनी जिला कटनी (म.प्र.)

नियुक्ति की शर्तें :–

1. चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एंव म0प्र0 सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
3. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. चयनित अभ्यार्थी स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13 / 2019 / 3 / एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
6. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रुप में देय होगी।
7. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर संबंधित पद के वेतनमान (सातवें वेतनमान का लेवल) में निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय महंगाई एवं अन्य भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
8. चयनित अभ्यार्थी की उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ रुपये 100 / – नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सत्य एवं सही है– दी गयी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत / त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

9. चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति आदेश पुलिस वेरिफिकेशन की प्रत्याशा में जारी की जाती है, यदि पुलिस वेरिफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. चयनित अभ्यार्थी के अन्यत्र शासकीय/स्वशासी/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल इत्यादि संस्थानों में कार्यरत् होने की दशा में चयनित पद पर उपस्थिति के पूर्व संबंधित नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्यागपत्र अथवा सेवारत् न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसके एवज में एक माह अग्रिम वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।
12. चयनित अभ्यार्थी की वरिष्ठता इस संस्था द्वारा तैयार वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
13. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
14. आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तो के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
15. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत् नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय–पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्यागपत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
17. किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगें, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त है तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
18. आपके कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक तीन माह में किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
19. सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
20. म0प्र0 शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3597/2009/दो/सी–1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रो/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विछिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
21. चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

<u>नोटः–</u> प्रमाणित किया जाता है कि, उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

स्थापना प्रभारी (अराज)
बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.
शहडोल (म0प्र0)

अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ. कमांक/स्था. अराज/जी.एम.सी./2025–26/11210-11217 **शहडोल, दिनांक** 23/09/**2025**
प्रतिलिपि :– की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ,

1. अपर मुख्य सचिव/म0प्र0 शासन/चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. संचालक,चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बि.मु.शा.चि.म.वि. शहडोल (म.प्र.)।
5. संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक, बि.मु.शा.चि.म.वि. शहडोल (म.प्र.)।
6. स्थानीय लेखा–शाखा, बि.मु.शा.चि.म.वि. शहडोल (म.प्र.)।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रुपये 4/– ट्रेजरी चालान हेड–0210–01–800 स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. संबंधित.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

स्थापना प्रभारी (अराज)
बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.
शहडोल (म0प्र0)

अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner